

15/4/22

पशावली पेजों में जी गई। तहसीलका डेगरीया
के पशाला LR/22/243 डिंक 15/7/22
द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष
में सुन गया। सार्थी गुरुचरण सिंह द्वारा
शा.पत्र 8.4.25 दिना पर अधिवक्ता
वादी ने NO - OBJECTION किया। शा.पत्र
में निवेदन किया कि तहसीलका डेगरीया के
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व सार्थी गद द्वारा
अवेदित किलापर सार्थी पत्र अनुसार वाद
ठिंडी किया जावे। शा.पत्र पर उभयपक्ष
में सुन जाया वाद ठिंडी किया जाता
है पर्या ठिंडी जारी है। पशावली नंबर
के कद की जाया काविल के पत्र की
जाती है कोडेय सुनया गया।

सहायक कलेक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
मुमानगर